Factual and Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 556/2022

Amit Das .....Applicant

Versus

State of Uttarakhand .....Respondent

I. BACK GROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 556/2022, Amit Das Vs. State of Uttarakhand issued inter alia following directions on 07.09.2022:

"xxx.....xxx.....xxx

3. ..... *In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of Ministry of Jal Shakti Government of Uttarakhand, Mussoorie, Dehradun Development Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun and direct the same to meet, undertake visit to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

xxx.....xxx.....xxx"

II. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 07.09.2022, the joint committee has undertaken inspection of the area in question on 30.11.2022. Following officials of the Joint Committee were part of the inspection :-

1. Sub District Magistrate, Rishikesh representative Revenue Officer/Revenue Sub Inspector, Rishikesh.
2. Dr. R.K. Chaturvedi, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.
3. Sh. S.S. Rawat, Executive Engineer, Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun.
4. Sh. D.C. Uniyal, Executive Engineer, Irrigation Department, Dehradun.
5. Sh. Praveen Shah, Executive Engineer, Uttarakhand Pey Jal Nigam, Muni-ki-reti, Tehri.

III. **OBSERVATION OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE NGT :-**

1. श्री सरदार हरविन्दर द्वारा चन्द्रभागा नदी के दायें तटबंध से सटा हुआ 11.60मी0 x 12मी0 का निर्माण किया गया है। उक्त स्थल पर निर्मित संरचना में से कुल दो कमरे, एक किचन व टॉयलेट में परिवार निवासरत है। वर्तमान में कार्य स्थल पर किसी प्रकार का नव निर्माण होता हुआ नहीं पाया गया है। उक्त भवन से चन्द्रभागा नदी में किसी प्रकार का जल–मल निस्तारण होता नहीं पाया गया।
2. सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चन्द्रभागा नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, के तटबन्ध से प्रश्नगत सम्पत्ति सटी हुई है एवं चन्द्रभागा नदी के मध्य से 44.00 मी0 की दूरी पर स्थित है एवं गंगा नदी के तट से 400.00 मी0 एवं मध्य से 526.00 मी0 की दूरी पर स्थित है। **(संलग्नक–1)**।
3. उक्त निर्माण के सम्बन्ध में पूर्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या सी–0429/2022 दिनांक 03.10.2020 भी योजित किया गया है।

उक्त निर्माण को प्राधिकरण द्वारा 14.10.2020 को दो कमरे, किचन व टॉयलेट को छोड़कर (अध्यासित) शेष निर्माण को सील किया गया (संलग्नक–2)। मा0 आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/अध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0 के आदेश दिनांक 05.11.2020 द्वारा दो कमरे, किचन व टॉयलेट को सील किये जाने से प्राधिकरण को निषिद्ध किया गया है। (संलग्नक–3)।

4. जिस भू–भाग पर उक्त निर्माण किया गया है, उस भू–भाग का नामान्तरण सहायक नगर आयुक्त नगर निगम, ऋषिकेश के पत्रांक–3447 दिनांक 22.05.2019 द्वारा श्री सरदार हरविन्दर सिंह पुत्र श्री स0 जरनैल सिंह के नाम होना स्वीकार किया गया है। (संलग्नक–4)।
5. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या सी–0429/2022 दिनांक 03.10.2020 वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 23.12.2022 को नियत है।

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

****

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल आवेदन संख्या 556/2022 श्री अमित दास बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 07/09/2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 556/2022 श्री अमित दास बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों में निम्न विभागो की संयुक्त समिति गठित कर वास्तुस्थिति एवं कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

1– प्रमुख सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड सरकार।

2– प्रमुख सचिव, सिंचाई उत्तराखण्ड सरकार।

3– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

4– जिलाधिकारी देहरादून।

तत्क्रम में उपरोक्त विभागों द्वारा नामित निम्न सदस्यों द्वारा चन्द्रभागा नदी के दाये तट पर विषयगत निर्माण स्थल के सम्बन्ध में सयुक्त निरीक्षण दिनांक 30/11/2022 को किया गया।

1– उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के प्रतिनिधि तहसीलदार/राजस्व उपनिरीक्षक ऋषिकेश।

2– डा0 आर0 के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

3– एस0 एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

4– डी0 सी0 उनियाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून।

5– प्रवीण शाह, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मुनिकीरेती, टिहरी।

निरीक्षण आख्या निम्नवत है –

1– श्री सरदार हरविन्दर द्वारा चन्द्रभागा नदी के दाये तटबंध से सटा हुआ 11.60मी0X12मी0 का निर्माण किया गया है। उक्त स्थल पर निर्मित संरचना में से कुल दो कमरे, एक कीचन व टायलेट में परिवार निवासरत है। वर्तमान में कार्य स्थल पर किसी प्रकार का नव निर्माण होता हुआ नहीं पाया गया है। उक्त भवन से चन्द्रभागा नदी में किसी प्रकार का जल–मल निस्तारण होता नही पाया गया।

2– सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चन्द्रभागा नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, के तटबन्ध से प्रश्नगत सम्पत्ति सटी हुई है, एवं चन्द्रभागा नदी के मध्य से 44.00 मी0 की दूरी पर स्थित है। एवं गंगा नदी के तट से 400.00 मी0 एवं मध्य से 526.00 मी0 की दूरी पर स्थित है। (संलग्नक–1)

3– उक्त निर्माण के सम्बन्ध में पूर्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या सी–0429/2022 दिनांक 3/10/2020 भी योजित किया गया है। उक्त निर्माण को प्राधिकरण द्वारा 14/10/2020 को दो कमरे, कीचन व टायलेट को छोडकर(अध्यासित) शेष

निर्माण को सील किया गया(संलग्नक–2)। मा0 आयुक्त, गढवाल मण्डल/अध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0 के आदेश दिनांक 5/11/2020 द्वारा दो कमरे, कीचन व टायलेट को सील किये जाने से प्राधिरण को निषिद्ध किया गया है।(संलग्नक–3)

4– जिस भू–भाग पर उक्त निर्माण किया गया है, उस भू–भाग का नांमान्तरण सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश के पंत्राक– 3447 दिनांक 22/05/2019 द्वारा श्री सरदार हरविन्दर सिंह पुत्र श्री स0 जरनैल सिंह के नाम होना स्वीकार किया गया है।(संलग्नक–4)

5– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या सी–0429/2022 दिनांक 3/10/2020 वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 23/12/2022 को नियत है।

प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश

डा0 आर0 के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

एस0 एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

30-11-22

डी0 सी0 उनियाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून।

प्रवीण शाह, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मुनिकीरेती, टिहरी।

552/2022

संलग्नक-1

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता–प्रथम
उपखण्ड ऋषिकेश
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सेवा में,

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
शांखा–कार्यालय, ऋषिकेश

पत्रांक 387 /स0अ0/सिं0उ0प्र0ऋ0/सिं0ख0दे0/ दिनांक 3-8- 2021

विषयः– गंगा नदी के तट से निर्माण की दूरी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–आपके कार्यालय का पत्रांकः– 168/सी0–0429/2020–21 दिनांक 26/06/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरदार श्री हरबिन्दर पुत्र सरदार श्री जनरैल सिंह द्वारा सम्पत्ति सं0–26/21 चन्देश्वर मार्ग माया कुण्ड, ऋषिकेश में किये गये भवन निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की आपत्ति/अनापत्ति की वांछना कि गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा भवन निर्माण के उपरान्त प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/अनापत्ति सम्बन्धी कार्यवाही नही की जाती है। विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा कार्य स्थल से नदियों की दूरी की सूचना मात्र दी जा सकती है।

इसी क्रम में इस कार्यालय से श्री कुलदीप सिंह, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में उल्लेखित सम्पत्ति चन्द्रभागा नदी के तट से 0.00 मी0 की दूरी एंव चन्द्रभागा नदी के मध्य से कुल 44 मी0 की दूरी पर स्थित है। एवं गंगा नदी के तट से 400 मी0 की दूरी तथा गंगा नदी के मध्य से 526 मी0 की दूरी आंकी गयी है।

अतः सूचना सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(अनुभव नौटियाल)
सहायक अभियन्ता

पत्रांक /स0अ0/सिं0उ0प्र0ऋ0/सिं0ख0दे0/तदिनांक

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुभव नौटियाल)
सहायक अभियन्ता

सुलग्नक-2

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

शाखा कार्यालय, एच–21, ऋशिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय ऋषिकेश के आदेश [illegible] संख्या 667 दिनांक 12·10·20 के अनुपालन में विपक्षी श्री हरविन्दर सिंह श्री द्वारा [illegible] ऋषिकेश में किया गया अवैध निर्माण आज दिनांक 14·10·20 को स्थल पर जिस स्थिति में निर्माण पाया गया उसी स्थिति में नियमानुसार सर्व मुहर सील किया गया। [illegible]

अभियन्तागण
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

थानाध्यक्ष / इंचार्ज
थाना

सहायक अभियंता
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

14/10/2020

तहसीलदार / मजिस्ट्रेट

14.10.2020

सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

हरविन्दर सिंह
14-10-20

कार्यालय मसूरी – देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

(प्रपत्र – क)

कारण बताओ नोटिस

पत्रांक – 646

Challan No: 20381

C-0429/2020 Sector Rishikesh दिनांक: 30/09/2020

03/10/2020

सेवा में,

Shri Harbinder shingh

Mayakund, chandraeshwer nagar,Chandrabhaga river, rishikesh, Rishikesh

उत्तराखंण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम , 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जो की आपके द्वारा उपरोक्त की धारा (14) में वर्णित आज्ञा / अनुज्ञा / स्वीकृति प्राप्त किये बिना या प्राप्त अनुज्ञा / स्वीकृति के शर्तो का उल्लंघन करते हुए (शर्तो का उल्लेख किया जाए)

"25फिट गुणा 60फिट क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।"

स्थल : Mayakund, chandraeshwer nagar,Chandrabhaga river, rishikesh

कार्य का विवरण दे : **"25फिट गुणा 60फिट क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।"**

का अनाधिकृत विकास कार्य / निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / कर रहे है / पूरा कर लिया गया है । तथा जिसका नक्शा साजरी निम्न है ।

सीमायें

पूरब रास्ता पश्चिम [illegible]

उत्तर [illegible] दक्षिण [illegible]

तथा जिसका किया जाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध भी है । अतः उपरोक्त धारा 26 के अधीन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्राधिकरण के अधि0अभि0 / सचिव / उपाध्यक्ष कार्यालय मे दिनांक Oct 9, 2020 पूर्वाहन / अपराहन (समय: 12:30 PM) स्वंय अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कारण बतायें तथा आवश्यक सबूत पेश करे कि आप द्वारा किया गया उपरोक्त निर्माण को ध्वस्त कर देन या अन्य तरह से हटा देने के आदेश क्यों ना दिये जाएँ।

(प्राप्त आपत्ति [illegible])

सहा0.अभि0 / सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर , सहारनपुर रोड,
देहरादून

टिप्पणी :– आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26(1) की और भी दिया जाता है जिसके अधीन आप उपरोक्त कृत्य के लिए अर्थदंड के भागी भी हो सकतें है जो ₹50,000.00 (पचास हजार रूपयें) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त अर्थ दंड जो उस प्रत्येंक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके प्रथम बार दोष सिद्व होने के पश्चात जारी रहता है ₹500.00 (पाच सौ रूपये) प्रतिदिन हो सकेगा के लिए दंण्डनीय हो सकता है ।

नोट : वादी सुनवाई में आने से पूर्व प्राधिकरण की वेब साईट https://mddaonline.org.in/mdda पर अपना registration करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थल की अद्यतन फोटो भी आपको संलग्न कर भेजी जा रही है ।

कार्यालय मसूरी – देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
(प्रपत्र – ख)

विकास / निर्माण कार्य रोकने की सूचना
उत्तराखंण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन आदेश
(अधिसूचना 5 अप्रैल के द्वारा)

Challar No.: 18128 पत्रांक – 647

C-0429/2020 Sector Rishikesh दिनांक: 30/09/2020
03/10/2020

सेवा में,

Shri Harbinder shingh
Mayakund, chandraeshwer nagar,Chandrabhaga river, rishikesh, Rishikesh

चूकिं आपके द्वारा स्थल : पक्षः Shri Harbinder shingh

Mayakund, chandraeshwer nagar,Chandrabhaga river, rishikesh

"25फिट गुणा 60फिट क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।"
का अनाधिकृत विकास/ निर्माण कार्य बिना पूर्व अनुमति / स्वीकृति के जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 14/15 में विनिर्दिष्ट है या प्रदत्त स्वीकृति /अनुमति की शर्तो का उल्लघंन कर
"25फिट गुणा 60फिट क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया।"
आरम्भ कर दिया है / किया जा रहा है । अतएव मैं उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूँ और यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त कार्य इस आदेश की प्राप्ति कर तुरन्त बंन्द कर दिया जाये एवं बन्द रहे।

इस आदेश का उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 एवं 27 को में दिए उपबंधो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा। जो कि आप इस आदेश का पालन करनें में असफल रहेंगे तो उक्त धारा की 28 की उपधारा (4) के अन्तर्गत आप उस प्रत्येंक दिन के लिए जिसके दौरान आदेश का तामीली के पश्चात उसका पालन न किया जाना जारी है, अर्थ दंन्ड के लिए जो ₹2500.00 (दो हजार पांच सो रूपये) प्रतिदिन हो सकेगा , के लिए दण्डनीय होगें।

सहा0.अभि0 / सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर , सहारनपुर रोड,
देहरादून

संलग्नक-3

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या–24/2020–21

अन्तर्गत धारा 28 क (4) उत्तराखण्ड नगर योजना एवं विकास अधिनियम

सरदार हरविन्दर सिंह बनाम सचिव, एम0डी0डी0ए0

नकल आदेश दि० – 5-11-2020

प्रश्नगत अपील सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश पत्रांक 667/सी–0429/व0प्र0/ऋषि0/2020 दिनांक 12–10–2020 के विरूद्व योजित की गयी है।

अपील की ग्राह्यता पर वि0 अधिवक्ता को सुना। वि0 अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रश्नगत सम्पत्ति नगर पालिका संख्या 26/21 क्षेत्रफल 265.80वर्गमीटर स्थित चन्द्रशेखर मार्ग, ऋषिकेश का स्वामी है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति विक्रय विलेख दिनांक 13–08–2020 द्वारा क्रय की गयी थी। अपीलार्थी को प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03–10–2020 प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है जबकि स्थल पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। उक्त नोटिस के क्रम में अपीलार्थी दिनांक 09–10–2020 को प्राधिकरण में उपस्थित हुआ तथा शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया गया तथा दिनांक 23–10–2020 की तिथि सुनवाई हेतु नियत कर दी। दिनांक 12–10–2020 को प्राधिकरण द्वारा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये गये जबकि स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त आदेश बिना सुनवाई के ही प्राधिकरण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी का परिवार उक्त सम्पत्ति में निवास कर रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही आक्षेपित सीलिंग आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त करने का अनुरोध वि0 अधिवक्ता द्वारा किया गया।

प्राधिकरण के आदेश का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के आदेश में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर भूतल एवं प्रथम तल पर लगभग 25 फीट गुणा 60 फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस दिनांक 03–10–2020 प्रेषित करते हुये वाद योजित किया गया। विपक्षी को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09–10–2020 की तिथि नियत की गयी। विपक्षी नियत तिथि को उपस्थित हुआ तथा विपक्षी द्वारा शमन मानचित्र ऑनलाइन जमा करने हेतु समय की मांग की गयी। अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा चोरी छिपे निर्माण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। स्थल पर विपक्षी द्वारा लगभग 4.50 मीटर गुणा 12.00 मीटर अतिरिक्त भूतल भाग पर निर्माण कर छत डालते हुये कुल 11.60 मीटर गुणा 12.00 मीटर के क्षेत्रफल में निर्माण कर लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आदेशों का उल्लंघन करते हुये लगातार निर्माण किया जा रहा है। अतः उक्त आधार पर निर्माण को सील करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है।

प्रकरण में प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गयी। प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 710/सी–0429/2020 दिनांक 03–11–2020 में उल्लेख किया गया है कि स्थल मायाकुण्ड चन्द्रेश्वर नगर, चन्द्रभागा नदी के किनारे लगभग 25फीट X 60 फीट क्षेत्रफल में निर्माण किये जाने के कारण श्री हरविन्दर सिंह के विरूद्व वाद संख्या सी–0429/2020 सेक्टर ऋषिकेश दिनांक 03–10–2020 को

योजित किया गया था। नोटिस के बावजूद विपक्षी द्वारा लगभग 4.50 मी0 X 12.00 मी0 अतिरिक्त अन्य निर्माण कर लगभग 11.60मी0 X 12.00 मी0 के क्षेत्र में निर्माण किया गया जिसको दिनांक 14—10—2020 को सील किया गया। सीलिंग की कार्यवाही के दौरान विपक्षी के अनुरोध पर व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विपक्षी के निवासरत दो कमरे, किचन व बाथरूम को छोड़कर शेष भवन सील किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त भवन को शमन किये जाने हेतु कोई शमन मानचित्र व भूस्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथापि उक्त भवन चन्द्रभागा नदी के किनारे से लगभग 30 मीटर के अन्तर्गत होने के कारण प्रथमदृष्टया शमनीय नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत सीलिंग आदेश पारित करते हुये सम्पत्ति के कुछ भाग को दिनांक 14—10—2020 को सील कर दिया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसे सुनवाई व शमन मानचित्र प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आक्षेपित सीलिंग आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण के आदेश से भी यह स्पष्ट होता है कि सुनवाई हेतु नियत प्रथम तिथि दिनांक 09—10—2020 को अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण में उपस्थित होकर शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन अपीलार्थी को समय प्रदान न कर प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी के निवासरत वाले भाग को छोड़कर सम्पत्ति का शेष भाग दिनांक 14—10—2020 को सील कर दिया तथा शेष भाग सील करने हेतु दिनांक 03—11—2020 को अपीलार्थी को पुनः नोटिस प्रेषित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी अपने निर्माण को शमन कराने को तैयार है अतः न्यायहित में अपीलार्थी को शमन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाना उचित होगा।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त उनके द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र का स्थलीय परीक्षण करते हुये प्राधिकरण के बायलॉज के आलोक में सकारण आदेश पारित कर शमनीय निर्माण को शमन किया जाय व अशमनीय निर्माण के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाय। अपीलार्थी आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के अन्दर शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करे व स्थल पर यथास्थिति बनाये रखे तथा कोई निर्माण कार्य न करे। नियत समयावधि के अन्दर शमन मानचित्र प्रस्तुत न किये जाने अथवा निर्माण कार्य किये जाने की दशा में प्राधिकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। शमन मानचित्र के निस्तारण तक अपीलार्थी के निवासरत दो कमरे, किचन व टायलेट को सील किये जाने से प्राधिकरण को निषिद्व किया जाता है। आदेश की प्रति प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

दिनांक 5/11/2020.

(केवल शासकीय प्रयोगार्थ)
प्रमाणित

अहलमद 6/11/2020
न्यायालय आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
शिविर देहरादून

Raman
(रविनाथ रमन)
आयुक्त / अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

संलग्नक 4
13

कार्यालय नगर निगम ,ऋषिकेश।

दिनांक 22/5/19

पत्रांक 3557 3(5)/2018–19

सेवा में,

श्री स0 हरविन्दर सिंह पुत्र स0 जरनैल सिंह
138/2–तिलक रोड ऋषिकेश ।

विषयः– सम्पत्ति सं0– 26/21–चन्द्रेश्वर मार्ग ऋषिकेश के स्वामित्व परिर्वतन के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.18 के सन्दर्भ मे सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो के आधार पर नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश के आदेश दिनांक 21.05.19 द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति सं0 – 26/21–चन्द्रेश्वर मार्ग ऋषिकेश के एक भाग का नामान्तरण श्री स0 हरविन्दर सिंह पुत्र स0 जरनैल सिंह के नाम स्वीकार कर लिया गया हैं।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम,ऋषिकेश।